

मध्यप्रदेश विधान सभा

चूलाई - अगस्त, 2000 सत्र

कानूनिक विधायी सूची

बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2000 (शाब्द 11, 1922)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रस्तोत्तर

- (1) पुथकत: विलित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिये जाएंगे।
(2) श्री मुशीलाल, सदस्य, का नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-2.

2. पत्रों का पटल पर चक्का आना

- (1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महात्मापरीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष का -
(क) क्रमांक - 4 (सिविल),
(ख) (वाणिज्यिक) क्रमांक - 2; तथा
(ग) क्रमांक - 1 (राजस्व प्राप्तियाँ),
पटल पर रखेंगे।
(2) श्री महेन्द्र सिंह, कुषी मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एपो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, नरेन्द्र विरथरे, लालसिंह, सदस्य, मुरैना जिले के केलारस सहकारी शोधकर कारखाने के प्रबंधकों द्वारा कुछकों के नाम पर गङ्गे का फूर्जी क्रय किए जाने की ओर राज्यपाली सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (2) सर्वश्री जोधाराम गुर्जर, पन्द्रूलाल प्रजापति, केलारनाथ शुक्ल, सदस्य, भोपाल जिले के कोलूखेडी ग्राम में भूमिहीनों को पट्टे न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाएँ की प्रस्तुति

- श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जोजारी-चोपा जिले के -
(क) नैला-पन्तोरा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) अकलतरा नगर को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,
(ग) बलौदा नगर को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,
(घ) अकलतरा नगर से ग्राम खोड तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ङ.) केलकुश्तर-गलवा मार्ग के कर्ता नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,
(च) ग्राम देवकिरारी स्थित हाईस्कूल का उत्थान कराये जाने,
(ज) ग्राम कडगाहन के शिवपुर व मुडाभाठा मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने; तथा
(ज) ग्राम पन्तोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विवरण चक्की

डॉ. गोपिन्द सिंह, राज्यपाली सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी कुषी और ग्रामीण विकास बैंक (सशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 23 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित
समय

6. नियम 138 के अधीन अविलम्बीय लोक महारक के विवरण पर चर्चा

- (1) प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्गहण।

1 घन्टा
30 मि.

- (2) बरारी बोध योजनान्तर्गत वायी लट नहर का निर्माण न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री रामपत्रप सिंह, प्रभाकर सिंह, लवकेश सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

1 घन्टा
30 मि.

- (3) प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बुजामोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री राजेन्द्र भारती (दलिया), श्री नरेन्द्र विरथरे, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरेन्द्रम मिश्रा, लाल सिंह, दुरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह लोमर, कमल पटेल, श्रीमती सुधा जैन, श्री राकेश शुक्ला, श्री रसाल सिंह, श्रीमती शबनम मौसी, श्री उणवीर सिंह तथा श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :
दिनांक : 1 अगस्त, 2000

के.पी. लिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।